

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ संकल्प ॥

विषय:—एस0एल0पी0(सिविल) सं0-23202-23204/2015, 29764-29765/2015 एवं 30109/2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.05.2020 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की रिक्तियाँ उपलब्ध कराने के संबंध में।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न सेवा/संवर्गों के स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 110/2010 प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अन्तिम रूप से चयनित कुल 3285 अभ्यर्थियों की विभिन्न प्रशासी विभागों के अधीन कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी। उक्त अनुशंसा के आलोक में संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की संबंधित पदों पर नियुक्ति की गयी।

2. प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों द्वारा कतिपय प्रश्नों के आदर्श उत्तर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 सं0-1170/2013, 1174/2013, 1352/2013, एवं 1200/13 में दिनांक-24.06.2015 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध एस0एल0पी0सं0-23202-23204/2015 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया।

3. एस0एल0पी0सं0-23202-23204/2015, 29764-29765/2015 एवं 30109/2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.05.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नया परीक्षाफल तैयार कर अभ्यर्थियों के मेधाक्रमांक, पद प्राथमिकता विकल्प एवं आरक्षण कोटि के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों के लिए काउन्सेलिंग आयोजित की गयी, जिसमें कुल 201 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। काउन्सेलिंग के उपरान्त आयोग द्वारा कुल 198 अभ्यर्थियों को पद/सेवा आवंटित किये जाने हेतु पदवार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है—

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	कोटि	विकलांगता का प्रकार	कोटिवार वांछित रिक्ति	आवश्यक रिक्तियाँ
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	सचिवालय सहायक	सामान्य	श्रवण वाधित	2	2
2.	उद्योग विभाग	उद्योग विस्तार पदाधिकारी	पिछड़ा वर्ग	—	1	1
3.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी	सामान्य	—	4	4

4.	समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग	बाल संरक्षण पदाधिकारी	सामान्य	—	8	14
			पिछड़ा वर्ग	—	1	
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	3	
			अनुसूचित जाति	—	2	
5.	समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग	लेखापाल—सह—भंडारपाल	सामान्य	—	9	12
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	2	
			पिछड़े वर्ग की महिला	—	1	
6.	समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग	अधीक्षक	सामान्य	—	1	1
7.	श्रम संसाधन विभाग (निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन))	कनीय सांख्यिकी सहायक	अनुसूचित जाति	—	1	1
8.	सहकारिता विभाग	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	सामान्य	—	65	130
			सामान्य दृष्टि बाधित	—	1	
			पिछड़ा वर्ग	—	11	
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	32	
			पिछड़े वर्ग की महिला	—	1	
			अनुसूचित जाति	—	14	
			अनुसूचित जाति चलन्त बाधित	—	3	
			अनुसूचित जनजाति	—	3	
9.	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक	सामान्य	—	16	33
			सामान्य दृष्टि बाधित	—	1	
			पिछड़ा वर्ग	—	9	
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	4	
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग दृष्टि बाधित	—	1	
			अनुसूचित जाति	—	2	
कुल —					198	

4. विचाराधीन मामले में आयोग द्वारा जितनी रिक्तियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, उतनी संख्या में रिक्तियाँ उपलब्ध कराने पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं होगा। साथ ही विभिन्न प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन संवर्गों से संबंधित रिक्ति उपलब्ध करायी जानी है। यह भी उल्लेखनीय है कि जो रिक्तियाँ उपलब्ध करायी जानी है वह विज्ञापन संख्या-110/2010 के लिए उपलब्ध करायी जानी है जबकि उसके बाद भी द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा की जा चुकी है। वर्णित स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायादेश के अनुपालन हेतु आयोग के अनुरोध पर यथावांछित संख्या में समेकित रिक्ति आयोग को उपलब्ध कराया जाना है।

5. विचाराधीन मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि -

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभागवार, पदवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त कुल 198 रिक्तियाँ उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) न्यायादेश के अनुपालन हेतु आरक्षण कोटिवार जितनी रिक्तियाँ तत्काल बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करायी जा रही हैं, संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अगले संव्यवहार की अधियाचना में आरक्षण कोटिवार उतनी ही रिक्तियाँ सामंजित कर लिया जायेगा।

6. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/एम0-16/2020सा0.4333/पटना-15,दिनांक.01.4.21

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/एम0-16/2020सा0.4333/पटना-15,दिनांक.01.4.21

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार अभिलेखागार, बेली रोड/विपार्ड, वाल्मी, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव